रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)—72.

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 301] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 5, 1981/भाद्र 14, 1903
No. 301] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 5, 1981/BHADRA 14, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation


## श्रम मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1981

**सा. का. नि. 507 (अ)** :—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि (चतुर्थ संशोधन) स्कीम, 1981 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

2. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में :—

पैरा 68 (ख) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"68 (ख) (ख) विशेष मामलों में ऋणों के प्रतिसंदाय के लिए निधि से अग्रिम ।

(1) (क) आयुक्त या जहां आयुक्त द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो उसका कोई अधीनस्थ अधिकारी किसी सदस्य से आवेदन प्राप्त करने पर निधि में उस सदस्य के नाम जमा रकम में से पैरा 68-ख के उप-पैरा (1) में विनिर्दिष्ट एकमात्र प्रयोजन के लिए किसी राज्य सरकार, सहकारी सोसाइटी आवासन बोर्ड, नगर निगम या दिल्ली विकास प्राधिकरण के समरूप किसी निकाय से अभिप्राप्त किसी उधार के बकाया मूलधन और ब्याज का पूर्णतः या भागतः प्रतिसंदाय करने के लिए अग्रिम मंजूर कर सकेगा ।

(ख) अग्रिम की रकम, सदस्य की चौबीस मास की मूल मजदूरी और महंगाई भत्ता या निधि के उसके खाते में नियोजक के अभिदाय अंश सहित उसके अपने अभिदाय अंश और उस पर ब्याज या उक्त उधार के बकाया मूलधन और ब्याज, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी ।

2. इस पैरा के अधीन के अधीन कोई अग्रिम मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि :—

(क) सदस्य ने निधि की सदस्यता के 15 वर्ष पूरे नहीं कर लिए हैं ; और

(ख) निधि में सदस्य के नाम जमा रकम में उसका अपना अभिदाय अंश उस पर ब्याज सहित एक हजार रुपये या उससे अधिक नहीं है ; और

(ग) सदस्य प्रमाण-पत्र या ऐसे अन्य दस्तावेज जो आयुक्त द्वारा या जहां आयुक्त ने इस प्रकार प्राधिकृत किया हो उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा ऐसे अभिकरण के लिए, विहित किए जाएं, सदस्य की विशिष्टियां मंजूर किया गया उधार, उधार का बकाया मूलधन और उस पर ब्याज और

ऐसी अन्य विशिष्टियां जो अपेक्षित हों, उपवर्णित करते हुए प्रस्तुत नहीं करता है ।

(3) इस पैरा के अधीन अग्रिम संदाय सदस्य से प्राधिकार प्राप्त होने पर ऐसी रीति में जो आयुक्त द्वारा या उसके आयुक्त ने इस प्रकार प्राधिकृत किया हो, उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सीधे ऐसे अभिकरण को किया जाएगा और किसी भी दशा में संदाय सदस्य को नहीं किया जाएगा ।"

[सं. आर-11016/4/80-पी. एफ. 2]

नवीन चावला, उप-सचिव

## MINISTRY OF LABOUR

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 1981

**G.S.R. 507(E).**—In exercise of the powers conferred by section 5 read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Fourth Amendment) Scheme, 1981.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme 1952, the following paragraph shall be inserted after paragraph 68B, namely :—

"68-BB Advance from the Fund for repayment of loans in special cases.

(1)(a) The Commissioner, or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him, may on an application from a member, sanction from the amount standing to the credit of the member in the Fund, an advance for the repayment, wholly or partly, of any outstanding principal and interest of a loan obtained from a State Government, Co-operative Society, Housing Board, Municipal Corporation or a body similar to the Delhi Development Authority solely for the purposes specified in sub-paragraph (i) of the paragraph 68-B.

(b) The amount of advance shall not exceed the member's basic wages and dearness allowance for twenty four months or his own share of contributions together with the employer's share of contributions, with interest thereon, in the member's account in the Fund or the amount of outstanding principal and interest of the said loan, whichever is least.

(2) No advance shall be sanctioned under this paragraph unless—

(a) the member has completed fifteen years' membership of the Fund, and

(b) the member's own share of contributions, with interest thereon, in the amount standing to his credit in the Fund, is one thousand rupees or more; and

(c) the member produces a certificate or such other documents, as may be prescribed by the Commissioner or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him, from such agency, indicating the particulars of the member, the loan granted, the outstanding principal and interest of the loan and such other particulars as may be required.

(3) The payment of the advance under this paragraph shall be made direct to such agency on receipt of an authorisation from the member in such manner as may be specified by the Commissioner, or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him, and in no event the payment shall be made to the member."

[No. R. 11016(4)|80-PF-II]

N. B. CHAWLA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981